न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/183

1. फुलचन्द पुत्र मोहनलाल जाति जाट, निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, झुन्झुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।
3. उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री विनोद कुमार गिल एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 27.12.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झूनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.65 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1269 रकबा 1.67 हैक्टयर वाके ग्राम बाकरा में स्थित है, तथा तहसीलदार झुन्झुनू ने उक्त भूमि में रास्ते बाबत सही रिपोर्ट नही की है क्योंकि खसरा नम्बर 1267 एवं 1269 में कभी कोई रास्ता ना पहले था और ना ही वर्तमान में कोई रास्ता है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.03.2018 को जो आदेश पारित किया है उसमें अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया तथा किसी भी व्यक्ति की खातेदारी की भूमि के बाबत उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित करना न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है इसलिये उक्त आदेश निरस्तीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2018 में जो रास्ता दर्ज किया है वहाँ खसरा नम्बर 1267 में जहाँ रास्ता प्रवेश करता है वही पर अपीलार्थी का काफी बड़ा मकान है इसलिये उक्त रास्ता डोटेड लाईन से बिना मौके की देखे दर्ज किया गया है इसलिये उक्त आदेश दिनांक 15.03.2018 निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त आदेश दिनांक 15.03.2018 की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नही थी, दिनांक 23.07.2021 को अपीलार्थी को उक्त गलत आदेश की जानकारी हुई तब अपीलार्थी ने नकल के लिये के आवेदन किया तथा नकल मिलने पर जानकारी से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

फरमाया जावें तथा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2018 को निरस्त कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित की जावें कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का गुणावगुण का आदेश पारित करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि पटवार मण्डल बाकरा के राजस्व ग्राम बाकरा मे ग्राम बाकरा से पातुसरी सीमा तक जाने वाला रास्ता जो खसरा नम्बर 1236, 1235, 1234, 1246, 1250, 1252, 1253 1265, 1269 में स्थित है सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी संलग्न कर रास्ते हेतु उपयोग में आ रही भूमि का राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार द्वारा की गई जिस पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है उसे उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2018 परित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2018 को अपीलार्थी की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में 3 माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।